



Pantnagar Seeds

TERMS AND CONDITIONS

OF

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

For Empanelment of Business Associates

Uttarakhand Seeds and Tarai Development Corporation Ltd

Email id : tdc@uaseedsandtdc.com,

gm@uaseedsandtdc.com



UTTARAKHAND SEEDS AND TARAI DEVELOPMENT CORPORATION LTD

PANTNAGAR, P.O. HALDI, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR (UTTARAKHAND)

Website : www.pantnagarseeds.com, www.ukstdc.com

E-mail : tdc@uaseedsandtdc.com

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

EOI Schedule & Contact Details:

Particulars	Details
Issuance Date of EOI	27.04.2026
Download/ Start Date/time : Submission Start Date/Time:	27.04.2026 , 3:00 PM 27.04.2026 , 3:20 PM
Last Date/Time of Submission:	17.05.2026, 5:00 PM
Schedule for opening of Bid:	18.05.2026, 3:00 PM
Application/Registration Fee DD/RTGS/Online Payment (Non Refundable)	Rs. 20,500/- (Rupees Twenty thousand Five Hundred Only.)* Rs 10,000 (Rupees Ten Thousand only) for each state where Business Associate would like to work
EMD (Refundable)	Rs. 5 lacs (Rupees Five lakhs only)
Address for Communication	M.D., Uttarakhand Seeds and Tarai Development Corporation Ltd.-Pantnagar P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar 263145 (Uttarakhand)
Contact Phone No & E-Mail	9837633036, 9410561705 Mail: tdc@uaseedsandtdc.com ,

Details of eligibility criteria and other Terms and Conditions can be viewed and downloaded from www.ukstdc.com and www.pantnagarseeds.com. Interested firms may submit their bid on www.uktenders.gov.in till **17.05.2026 by 5:00 PM**. Bids without registration fee and EMD wouldn't be entertained and registration fee/EMD in the form of cheque wouldn't be accepted. The bid will be opened on 18.05.2026 at **3:00 PM**. UKS&TDC reserves the right to make any alteration/modification in tender document or scrap the tender at any stage without assigning any reason.

Managing Director



UTTARAKHAND SEEDS AND TARAI DEVELOPMENT CORPORATION LTD

PANTNAGAR, P.O. HALDI, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR (UTTARAKHAND)

Website : www.pantnagarseeds.com, www.ukstdc.com

E-mail : tdc@uaseedsandtdc.com

GENERAL GUIDELINES

With a view to enhance the marketing/sale of Foundation, Certified, TL, Organic seeds, Hybrid seeds and other category of seeds of various Cereals, Oilseeds, Pulses, Fodders, Vegetables, Flowers, other horticultural crop etc. which are not being produced by the Corporation due to uncertain demand, UKSTDC desires to meet the demand which it receives on time to time from various other states through Business Associate who will be able to supply/sale the demanded seeds in the brand name of "Pantnagar Seeds/T.D.C.". Such firms herein will be referred as Business Associates.

1. Business Associate would mean :

- Those firms/Seed production Firms/Organizations which are registered with UKSTDC for the purpose of increase in the diversification business of the corporation.
- Business Associate could be any Indian Citizens/Partnership Firms/ Seed Production Companies/ Private Organizations/ Co-operatives/ Government Organizations/ Start-Ups (registered in India who are in the business for past two years)/ or Any multinational company which is registered in India.

2. Requirement of Business Associate :

- a) Business Associate would be empanelled for one year and for the next two years his firm's empanelment would be renewed. Renewal would be done on the basis of business target achieved by the business associate which is offered by the business associate (more than Rupees One crore) and upon not achieving the business target renewal will be decided by the

Managing Director of the corporation. Expenses incurred on the stamp and other incidentals for renewal would be borne by the Business Associate.

- b) Business Associate must have a valid seed license. The expenses incurred on attaining seed license and other formalities would be borne by business associate. One copy of seed license should be submitted to the corporation.
- c) It would be mandatory for the business associate firm to be financially sound in his business and he should have done an average business amounting to 1 crore in 3 years and in the last two years he should be in profit which should be audited by the chartered accountant. He should also submit audited balance sheet/ITR of last two years.
- d) For each state only one Business Associate would be empanelled. The criteria for that would be by the comparative analysis of total margin and total business offered by the business associate and on the basis of those two parameters highest profit offered to the corporation. If there is a tie in margin and volume offered then after negotiation a separate proposal for margin and volume offered will be submitted by the said firms on an envelope. Empanel process will be finalized on the highest margin offered.
- e) If a business associate fails to make available information about quantities offer rate within 3 days (for the state he is empanelled for) then corporation will be free to meet that demand through other business associates by taking the offer of rate and margin from them.
- f) Such Business Associate firms which are seed production firms, the corporation may enter into an MoU with them for seed production under the TDC brand name and other seed production norms. A separate agreement would be finalized for the same.

g) Minimum Annual Business Target-1 Crore

EMD- 5 Lakhs

Registration fee- 10000 (for each state)

Business Associate is required to do minimum business which will be increased 10% year on year.

h) Business Associate is required to pay Rs 5000 every year for renewal of his firm's registration.

3. **Role of Business Associate :**

- a) The Business Associate will be required to submit the details of documents which are used for production process, details of sources, and documents of details of quality control and he will be fully responsible for all documentation. The Business Associate will be fully responsible for any complaint regarding quality of the seeds supplied to the concerned states and shall provide all necessary certificates/reports from state seed certification authority or govt. approved labs as may be required by U.K.S. & T.D.C. The business associate shall indemnify U.K.S. & T.D.C. from all cost, risks and responsibilities that may arise on account of action or inaction on the part of the his firm/organization. Empanelled Business associates will submit the affidavit to TDC regarding the quality of supplied seeds meet the desired quality parameters demanded by the respective state department.
- b) Business Associate will provide samples of demanded seeds to UKSTDC before supply and will ensure that the supplied seeds meet the desired quality parameters.
- c) To explore the demand of Seeds in various states and intimate for the same to UKSTDC and arrange the demanded seeds.

- d) To also arrange the demanded seeds which is not produced by UKSTDC nor by the Business Associate.
- e) If Business Associate falters in supply after receiving the concrete demand and if corporation bears losses of any kind arising out of this, Business Associate will bear all the losses.
- f) If UKSTDC intends to participate in the tender floated by the states on its own then in those states Business Associate would not participate directly in the brand name of UKSTDC or any other brand name failing which the Managing Director would be competent to cancel his registration and forfeiture of EMD.
- g) All the bills will be issued by the Business Associate in the name of UKSTDC. UKSTDC will then raise the bills to the respective state agencies for the payment. The payment will be made to Business Associate after receiving payment from respective states after deductions of service margin, applicable TDS and other deductions.

4. **Role of U.K.S. & T.D.C. :**

- a) All the supervision and monitoring would be carried out by the corporation and time to time desired support would be provided as and when needed. Business Associate would provide the necessary details/documents when being asked by UKSTDC.

- b) **Details of minimum service margins on various crops will be charged by the corporation on the minimum business target of Rs 1 Crore**

Seeds of Cereals-5%

Seeds of Pulses and Oilseeds-5%

Horticultural Crops- 7%

Hybrid Seeds- 10%

Other Seeds from the above category- 7%

For annual business target offered of more than Rs 1 crore, Business associate will be free to offer service margin for the state he would like to work for. Business Associate for each state will be empanelled on the basis of highest service margin (Turnover x margin) offered for that state.

- c) Upon being empanelled the Business Associate has to do an agreement with the corporation on a format which will be applicable for one year. An appointment letter will be issued within 15 days after the completion of empanelled process.
- d) EMD of Rs 5 Lakh previously paid for the diversification business to the corporation would be considered provided it is not being redeemed and it should be verified by the finance department of the corporation.

☆ Changes incorporated in General Guidelines from time to time shall be applicable as such.

Documents to be submitted by Business Associates

S. No.	Document	Submission	Authority
1.	Seed License as per seed control order 1983	Mandatory	State Agriculture Department
2.	Seed Processing Plant Registration No.	If Available	State Seed Certification Agency
3.	Seed Producers Registration Certificate No.	If Available	State Seed Certification Agency
4.	Registered office Address proof	Mandatory	GST, Lease Deed/Agreement etc.
5.	TIN (Tax Information Network)		
a.	PAN (Permanent Account Number)	Mandatory	As per Income Tax Act,1961
b.	Aadhar No	Mandatory	
c.	TAN (Tax Deduction & Cancellation Number)	If Available	As per Income Tax Act,1961
6.	GST Registration	Mandatory	As per GST Act, 2017.
7.	Certificate of Registration		
a.	For Sole Proprietary Firm	As applicable	From Competent Authority
b.	For Partnership Firm (Partnership Deed to be furnished)	As applicable	From Registrar of Firms

c.	For Private / Govt Sector Companies/MNCs (Articles of Association or Certificate of Incorporation and commencement of business or Memorandum of Understanding to be submitted)	As applicable	From Registrar of Companies
d.	For State Level Co-operative (Bye- Laws to be furnished)	As applicable	From Registrar of Co-op Societies of respective State Government
e.	For Multi-State Co-operatives (Bye- Laws to be furnished)	As applicable	From Registrar of Co-op Societies, GOI.
f.	For Startups	As applicable	Registration from the competent authority
8.	Income Tax Returns (Latest for 2 years i.e. (2024-25, 2025-26,) for 2026-27 (optional)	Mandatory	Relaxable for Start- Ups
9.	-Audited Annual Balance Sheet (Latest for 2 Years i.e. (2024-25, 2025-26). -For 2026-27 audited balance sheet, if not prepared then provisional copy should be attached which is verified by CA)	Mandatory	Relaxable for Start- Ups
10.	Copy of supply orders (at least for past two years) with any Central/State agency, Government Deptt, Agencies, PSU and Cooperatives.	Mandatory	Relaxable for Start- up
11.	Certificate from Purchasers satisfactory execution of supply orders.	If Available	Relaxable for Start- up
12.	Certification that the firm/organization has not been black listed or debarred by any Central/State Govt. or Central/State Agencies on Stamp paper of Rs.100/- attested by Notary	Mandatory	

13	Character certificate for proprietor	Mandatory	From competent authority. (DM/SP/Gazetted Government Officer)
----	--------------------------------------	-----------	---

Note:- Character certificate will be exempted for government company

Application and Registration Fees:

The following amount shall be payable towards application and registration

Rs. 20,500/- (Application fees & Registration fees Non Refundable)	To be paid (DD/RTGS/Online Payment) In favour of ukseeds and TDC payable at SBI, Haldi (01251) Account No-11543877028 IFSC-SBIN0001251 Note: Rs 10000 (Rupees Ten Thousand only Non refundable) for each state where Business Associate would like to work
EMD of Rs. 5 lacs (Refundable)	To be paid (Bank guarantee/DD/RTGS/Online Payment) In favour of ukseeds and TDC payable at SBI, Haldi (01251) Account No-11543877028 IFSC-SBIN0001251 (For empanelled Companies/Agencies)

Annexure-B

On Stamp paper with notary attestation

To

Managing Director,
Uttarakhand Seeds and Tarai Development Corporation Ltd.
Pantnagar, P.O. Haldi Distt. Udham Singh
Nagar, Uttarakhand- 263 146

Sub: Certificate for non black-listed/debarred by any Central/State Govt. or Central/ State Agencies.

Sir

I _____ (Name & designation of Supplier firm) hereby declare that my firm any of its partners / Company or any of its Directors have not been debarred/ black- listed by any of the Govt. Department / Govt. Agencies where I had supplied the seeds during the last 2 years.

I/We declare that the information and documents submitted along with the EDI by me/us are correct and I/we are fully responsible for the correctness of the information and documents submitted by me/us.

I/We also understand that if the certificates submitted by me/us are found to be false/forged or incorrect at any time after the award of the contract, it will lead to termination of the contract, forfeiture of EMD, suspension of business for one year as well as legal action against me.

Thanking you,

Place:

Name

Dated:

Designation

Name of the organization

Rubber stamp

BUSINESS ASSOCIATE APPLICATION FORM

Uttarakhand Seed and Tarai Development Corporation Ltd.
Pantnagar, P.O. Haldi, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
E-mail tdc@uaseedsandtdc.com

1. Name of Company:
(Indian Citizens Firm/Partnership Firms/ Seed Production Companies/ Private Organisations/ Co-operatives/ Government Organisations/ Start-Ups)
2. Company Address:.....
3. Name of the head of the company:.....
4. Contact Person with Designation:.....
5. Contact No: Landline/Mobile No:.....
6. E-mail Id:.....
7. Website Address:.....
8. Total experience in the concerned business (No. of Years):.....
9. Year wise Annual Turnover with balance sheet (Two Years):.....
10. Seed License mandatorily required for business operations
11. G.S.T. / PAN Number:.....
12. Income tax return of last two years:.....
13. Do you have your own marketing network (if Yes , give details):.....

14 Do you have prior experience of supply in Government

departments (if Yes , give details):.....

15. Details of R&D facilities:.....

16. How many States are covered by the company (if Yes, give product wise details

.....

17. Name of State/States where Business Associate would like to operate.

.....

18. State wise and Seed category wise Business Turnover and Service Margin to be offered by Business Associate.

Category	Name of Firm	Name of State/States applied for	Business Revenue offered (in Cr)	Service margin offered (%)	
1 crore				Cereals (Min 5%)	
				Pulses and Oilseeds (Min 5%)	
				Horticultural Crops (Min 7%)	
				Hybrids (Min 10%)	
				Other Seeds (Min 7%)	
Category	Name of Firm	Name of State/States applied for	Business Revenue offered (in Cr)	Service margin offered (%)	
More than 1 crore					

Signature:

Name:.....

Designation:.....

Company seal:.....

उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड,
पंतनगर, पत्रालय हल्दी, जनपद रुधमसिंह नगर।

विविधीकरण (बिजनेस एसोसियेट) नियमावली 2025
नियम/शर्त

सामान्य निर्देश

1	संक्षिप्त शीर्षक:	1.	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम विविधीकरण (बिजनेस एसोसियेट) नियमावली 2025 है। (बिजनेस एसोसियेट नियमावली 2022 का संशोधन)
		2.	यह नियमावली उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड में तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी।
2	परिभाषायें:	1	“बिजनेस एसोसियेट” से तात्पर्य ऐसी फर्मो/उत्पादक फर्मो/संस्थाओं से है, जिनको निगम का व्यवसाय बढ़ाने हेतु निगम में पंजीकृत किया गया हो।
		2	“ब्राण्ड नेम” का आशय “पंतनगर बीज” से है।
		3	“निगम” का अभिप्राय उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड से है।
		4	“विविधीकरण” से आशय निगम के मुख्य बीज व्यवसाय के साथ-साथ निगम की सकल आय में वृद्धि किये जाने के निमित्त बिजनेस एसोसियेट के माध्यम से बीजों, कृषि आगतो (Agriculture inputs) तथा यंत्रो (Machinery) का व्यवसाय किया जाना।
		5	“प्रबन्ध निदेशक” से आशय उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 के प्रबन्ध निदेशक से है।
		6	“अध्यक्ष” से आशय उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 के अध्यक्ष से है।
		7	“निदेशक मण्डल” से आशय उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 के निदेशक मण्डल से है।

		8	“सर्विस मार्जिन” से आशय बिजनेस एसोसिएट द्वारा विक्रीत बीजों, कृषि आगतो (Agriculture inputs) तथा यंत्रो (Machinery) के विक्रय मूल्य पर (GST हटाकर) निगम को दिए जाने वाले प्रतिशत/मार्जिन से है।
		9	“सोल आर्बीट्रेटर” से आशय निगम एवं बिजनेस एसोसियेट की सहमति से नियुक्त आर्बीट्रेटर से है।
3	उद्देश्य:	1	इस नियमावली का उद्देश्य निगम की विद्यमान वित्तीय स्थिति, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये लाभ हेतु निगम में विविधीकरण के माध्यम से व्यवसायिक सहयोगी(बिजनेस एसोसियेट) नियुक्त कर उन क्षेत्रों में व्यवसाय में वृद्धि करना है, जिन क्षेत्रों में निगम द्वारा अभी कार्य नहीं किया जा रहा है।
		2	जिन बीजों, कृषि आगतो (Agriculture inputs) तथा
		3	यंत्रो (Machinery) का उत्पादन निगम द्वारा नहीं किया जा पा रहा है, उनको बिजनेस एसोसियेट के माध्यम से बिक्रीत करना/कराना।
4	फर्मों को चिन्हित करने का मापदण्ड	1	यथा आवश्यकतानुसार बिजनेस एसोसियेट की नियुक्ति हेतु व्यापक प्रसार हेतु प्रमुख दो समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना होगा। साथ ही व्यापक प्रसार हेतु दूरभाष एवं वेबसाईट, सोशल मीडिया, तथा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाना होगा। जिससे ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी तरीके से बिजनेस एसोसिएट निगम के साथ जोड़ते हुये निगम के व्यवसाय को बढ़ाया जा सके।
		2	यदि किसी राज्य में दो या दो से अधिक बिजनेस एसोसिएटों द्वारा अलग-अलग व्यवसाय (टर्नओवर) के लक्ष्य तथा अलग-अलग मार्जिन प्रस्तावित किए जाते हैं तो ऐसी दशा में बिजनेस एसोसिएट चयन/नियुक्ति से पूर्व एच-1 तथा एच-2 बिजनेस एसोसिएटों से वार्ता (negotiation) कर अधिकतम टर्नओवर (एच-1) प्रस्तावित करने वाली संस्था को अधिकतम मार्जिन(एच-1) प्रस्तावित करने वाली संस्था के समान मार्जिन देने का विकल्प रखा जाता है। उसकी असमर्थता व्यक्त किए जाने पर अधिकतम मार्जिन

		<p>(एच-1) प्रस्तावित करने वाली संस्था को अधिकतम टर्नओवर (एच-1) प्रस्तावित करने वाली संस्था के बराबर टर्नओवर प्रस्तावित किए जाने का विकल्प रखा जाता है । दोनो ही फर्मों द्वारा असमर्थता व्यक्त किए जाने पर वार्ता (negotiation) उपरान्त अधिकतम व्यवसाय (टर्नओवर) एवं अधिकतम मार्जिन हेतु प्रस्ताव बन्द लिफाफे में प्राप्त करते हुए चयन प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी । प्रस्तावित व्यवसाय व मार्जिन को बिजनेस एसोसिएट चयन/नियुक्ति के समय किए जाने वाले अनुबन्ध में अंकित किया जायेगा। निगम को प्राप्त होने वाले मार्जिन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित बिजनेस एसोसिएट का होगा । किसी भी राज्य से बीज की मांग आने पर अधिकतम 3 दिन का समय उस राज्य हेतु नियुक्त बिजनेस एसोसिएट को दिया जायेगा। यदि वह पूर्ति किए जाने में असमर्थ रहता है तो अन्य राज्यों हेतु नियुक्त बिजनेस एसोसिएट से दर व सर्विस मार्जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव 3 दिन का समय देते हुए प्राप्त करते हुए आपूर्ति की जा सकेगी ।</p>
	3	<p>बिजनेस एसोसिएट की प्रथमबार में नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये होगी तथा अगले दो वर्षों हेतु प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण उन्ही बिजनेस एसोसिएट का किया जायेगा जिनके द्वारा निर्धारित व्यवसाय के लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी। निर्धारित व्यवसाय के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किये जाने पर नवीनीकरण हेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में व्यय होने वाले स्टाम्प आदि का वहन बिजनेस एसोसिएट द्वारा किया जायेगा।</p>
	4	<p>बिजनेस एसोसिएट के पास वैध बीज अनुज्ञप्ति (Valid Seed Licence) होना अनिवार्य है। साथ ही कृषि आगतो, यंत्रो इत्यादि से सम्बन्धित वांछित अनुज्ञप्ति भी अनिवार्य है जिनकी एक प्रमाणित प्रति बिजनेस एसोसिएटस द्वारा निगम</p>

			को उपलब्ध करायी जायेगी।
		5	बिजनेस एसोसियेट कोई भारतीय नागरिक, साझेदारी फर्म, बीज उत्पादक संस्थाएँ, निजी कम्पनी, सहकारी/सरकारी संस्था, स्टार्टअप (कम से कम दो वर्षों से कार्यरत) अथवा भारत में पंजीकृत कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी हो सकती है।
		6	प्रत्येक राज्य हेतु एक बिजनेस एसोसिएट नियुक्त किया जाएगा।
		7	बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा आवेदित राज्यों का राज्यवार
		8	पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
		9	यह आव"यक होगा कि बिजनेस एसोसिएट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और उसके द्वारा विगत तीन वर्षों में औसतन रू0 1.00 करोड़ का व्यवसाय प्रतिवर्ष किया गया हो तथा विगत दो वर्षों में वह शुद्ध लाभ की स्थिति में हो जिसका आंकलन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिटेड बैलेन्स शीट/आईटीआर के आधार पर किया जाएगा।
		10	नवीनीकरण उन्ही बिजनेस एसोसिएट्स का किया जायेगा जिनके द्वारा निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी। अन्य बिजनेस एसोसिएट्स के नवीनीकरण का निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जायेगा।
		11	जिन राज्यों हेतु निगम की आवश्यकता के अनुसार बिजनेस एसोसियेट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन राज्य के लिये नये सिरे से विज्ञापन समाचार पत्रों में आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जायेगा
5	बिजनेस एसोसियेट का कार्य क्षेत्र	1	निगम के व्यवसाय को बढ़ाने के निमित्त बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा भारत वर्ष के समस्त राज्यों में उनके नियुक्ति के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।
		2	यदि किसी राज्य में निगम स्वयं निविदा प्रक्रिया में सीधे प्रतिभाग करता है, तो उस राज्य में अथवा अन्य राज्य के लिए नियुक्त बिजनेस एसोसियेट टैण्डर में निगम ब्राण्ड अथवा अन्य किसी ब्राण्डनेम से निविदा में सीधे प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर पंजीकरण निरस्त एवं जमानत धनराशि निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिए प्रबन्ध निदेशक सक्षम होंगे।

			निगम को विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त बीजों की मांग के आधार पर ऐसे नियुक्त बिजनेस एसोसिएट्स जो उत्पादक फर्म हैं उनसे निगम अपने ब्राण्ड नेम एवं उत्पादन मानको के अनुसार उत्पादन करा सकता है जिस हेतु निगम उक्त उत्पादक संस्थाओं से पृथक एमओयू कराते हुए उत्पादन करायेगा। उक्त कार्य हेतु नियुक्त उत्पादन संस्थायें इस नियमावली के माध्यम से इम्पैनल्ड रहेगी।						
6	बिजनेस एसोसियेट की श्रेणी व निर्धारित शुल्क		<table border="1"> <tr> <td>न्यूनतम व्यवसाय</td> <td>1.00 करोड़</td> </tr> <tr> <td>जमानत धनराशि</td> <td>5.00 लाख</td> </tr> <tr> <td>पंजीयन शुल्क</td> <td>10.00 हजार प्रति राज्य</td> </tr> </table> <p>बिजनेस एसोसिएट को निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम व्यवसाय सीमा के अनुसार व्यवसाय करना अनिवार्य होगा।</p> <p>न्यूनतम व्यवसाय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य रूप से की जायेगी। बिजनेस एसोसिएट को नवीनीकरण के समय प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क रू० 5,000.00 जमा करना होगा।</p>	न्यूनतम व्यवसाय	1.00 करोड़	जमानत धनराशि	5.00 लाख	पंजीयन शुल्क	10.00 हजार प्रति राज्य
न्यूनतम व्यवसाय	1.00 करोड़								
जमानत धनराशि	5.00 लाख								
पंजीयन शुल्क	10.00 हजार प्रति राज्य								
7	बिजनेस एसोसियेट का दायित्व	1	बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा उत्पादन/उत्पाद के लेन-देन की सम्बन्धित प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले समस्त सम्बन्धित प्रपत्र/विवरण, श्रोत्रों का विवरण, गुणवत्ता से सम्बन्धित अभिलेखो/प्रपत्रों का विवरण यथासमय मांगे जाने पर निगम को उपलब्ध कराना होगा। उक्त प्रक्रिया निगम के निर्देशों के अनुरूप बिजनेस एसोसिएट द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।						
		2	बिजनेस एसोसिएट द्वारा आपूर्तित किये गये उत्पाद की गुणवत्ता में यदि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी बिजनेस एसोसिएट की होगी तथा उक्त प्राप्त शिकायत के फलस्वरूप होने वाले समस्त विविध खर्चों यथा विधिक व्यय, क्षतिपूर्ति इत्यादि का वहन भी बिजनेस एसोसिएट द्वारा किया जायेगा। जिसमें निगम						

			की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपूर्ति की जाने वाली फसल बीजों की गुणवत्ता से सम्बन्धित शपथ पत्र चयनित बिजनेस एसोसिएट्स द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जाना होगा।
		3	बीजों, कृषि आगतों (Agriculture inputs) तथा यंत्रों (Machinery) की विपणन की सम्भावना तलाश करना तथा मांग प्राप्तकर विपणन करना।
		4	बीजों, कृषि आगतों (Agriculture inputs) तथा यंत्रों (Machinery) जिनका उत्पादन न तो निगम द्वारा और न ही बिजनेस एसोसियेट द्वारा किया गया है, का मांगानुसार प्रबन्ध किया जाना।
		5	जिन राज्यों में निगम स्वउत्पादित बीजों का व्यवसाय कर रहा है तथा उन राज्यों में निगम द्वारा कृषि आगतों (Agriculture inputs) तथा यंत्रों (Machinery) का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है, वहाँ उन कृषि आगतों (Agriculture inputs) तथा यंत्रों (Machinery) का व्यवसाय करना।
		6	यदि किसी बिजनेस एसोसियेट द्वारा समय पर मांग की गयी बीजों, कृषि आगतों (Agriculture inputs) तथा यंत्रों (Machinery) की आपूर्ति नहीं की जाती है और उससे निगम को कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बिजनेस एसोसियेट की होगी।
8	निगम का दायित्व	1	क्रमांक 7 में दिये गये "बिजनेस एसोसियेट का दायित्व" का सुपरविजन/मानिट्रिंग निगम द्वारा किया जायेगा तथा उससे सम्बन्धित यथा आवश्यकतानुसार सहयोग निगम द्वारा किया जायेगा तथा उक्त से सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख मांगे जाने पर बिजनेस एसोसिएट द्वारा निगम को तुरन्त उपलब्ध कराने होंगे।
		2	
		3	
		4	
9	व्यवसायिक मार्जिन	1	रु0 1.00 करोड के न्यूनतम व्यवसाय पर सर्विस मार्जिन खाद्यान्न फसलों पर 5 प्रतिशत, औद्यानिक फसलों पर 7 प्रतिशत एवं संकर बीजों पर 10 प्रतिशत होगा।
		2	

		<p>रू0 1.00 करोड़ से अधिक व्यवसाय प्रस्तावित करने पर आवेदनकर्ता बिजनेस एसोसिएट सर्विस मार्जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव देने हेतु स्वतंत्र होगा। बीजों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों पर 7 प्रतिशत सर्विस मार्जिन निगम को प्राप्त होगा।</p> <p>सर्विस मार्जिन को यथासमय बढ़ाने/कम करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित होगा।</p> <p>बिजनेस एसोसिएट द्वारा निगम ब्राण्ड नेम से किये जाने वाले समस्त बीजक निगम के नाम से प्रेषित किये जायेंगे तदपश्चात निगम द्वारा बिजनेस एसोसिएट के माध्यम से प्राप्त बीजको के आधार पर विक्रय बीजक निगम द्वारा जारी किये जायेंगे। भुगतान प्राप्ति के उपरान्त नियमानुसार टी0डी0एस0 की कटौती निगम द्वारा की जायेगी।</p> <p>निगम को बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से किये गये व्यवसाय के फलस्वरूप प्राप्त भुगतान को बिजनेस एसोसिएट द्वारा प्रेषित क्लेम के एक माह के भीतर सर्विस मार्जिन एवं टी0डी0एस0 कटौती के उपरान्त शेष भुगतान किया जाना होगा। बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से प्राप्त भुगतान का पृथक से लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा प्राप्त भुगतान में से निगम के सर्विस मार्जिन की धनराशि को ही निगम द्वारा उपयोग किया जायेगा।</p>
10	अन्य	<p>1 नियुक्त किये जाने वाले बिजनेस एसोसियेट को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध करना होगा, जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बिजनेस एसोसिएट की नियुक्ति प्रक्रिया का अन्तिमीकरण होने के उपरान्त 15 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जायेगा।</p>
		<p>2 किसी भी विवाद के लिये निगम के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति "सोल आर्बिट्रेटर" के रूप में दोनों पक्षों को मान्य होंगे।</p> <p>गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेशन वाद से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय बिजनेस एसोसिएट द्वारा वहन किया जायेगा। बिजनेस एसोसिएट नियमावली में उल्लिखित</p>

		<p>नियमों के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में आर्बिट्रेशन वाद के व्यय को दोनो पक्षों द्वारा आधा-आधा वहन किया जाएगा।</p> <p>इस नियमावली/इसके अन्तर्गत किए जाने वाले अनुबन्ध/की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों एवं इन सबके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया का क्षेत्राधिकार केवल उत्तराखण्ड स्थित रूद्रपुर, उधम सिंह नगर के न्यायालय का होगा।</p>
	3	उपरोक्त नियमावली में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं संशोधन का सर्वाधिकार निदेशक मण्डल को होगा।
	4	उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।